भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .4359
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: घटिया गुणवत्ता वाले बीज

4359. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले 5 वर्षों में कई किसानों को अप्रभावी और घटिया गुणवत्ता वाले बीज बेचे गए हैं और यदि हाँ, तो दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या इन अप्रभावी बीजों के कारण उपज हानि, आय की हानि और बाजार में व्यवधान का कोई आर्थिक मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अप्रभावी बीजों से ठगे गए संबंधित किसानों को मुआवजा दिया है या देने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देशभर में सार्वजनिक बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति, उनका परीक्षण समय और मान्यता स्तर क्या है;

(ङ) किसानों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु क्या तंत्र मौजूद हैं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): संपूर्ण देश में बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि किसानों के लाभ के लिए बाज़ार में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हों और घटिया/नकली बीजों की बिक्री को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अधिनियम के तहत बीज निरीक्षकों को डीलर/खुदरा विक्रेताओं के परिसरों से बीजों के नमूने लेने और उनकी गुणवत्ता की जाँच करने तथा

और यदि बीज के नमूने घटिया पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई तथा बीज विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने, स्टॉक जब्त करने, चेतावनी जारी करने, 'बिक्री रोकने' का आदेश जारी करने और अदालत में मामला दर्ज करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिसूचित करती हैं। देश में विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार लिए गए बीज के नमूनों और चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण अनुबंध I से V में दिया गया है।

(ख): उपज की हानि और किसानों के संबंधित आय का नुकसान कई कारकों का परिणाम है, जिसमें बीज की गुणवत्ता, मौसम में व्यवधान, सॉइल हेल्थ, कीट और रोग संक्रमण पद्धतियों के पैकेज आदि शामिल है। तथापि, सरकार ने बीज की गुणवत्ता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सहायता प्रदान करके किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। देश में 178 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं और 25 राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां विभिन्न राज्य सरकारों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कई सार्वजनिक क्षेत्र के निगम और एजेंसियां गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार फसल क्षति के कारण होने वाली वित्तीय हानि को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी कार्यान्वयन करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और राज्य कृषि विभाग के ठोस प्रयासों और कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से, बदलते मौसम के पैटर्न बावजूद वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन 297.50 मिलियन टन से बढ़कर 353.96 मिलियन टन हो गया है।

(ग): घटिया गुणवत्ता वाले बीजों से किसानों की रक्षा करने के लिए विभिन्न बीज कानूनों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई का विवरण अनुबंध I से V में दिया गया है।

(घ): वर्तमान में, देश में सार्वजनिक क्षेत्र की 178 अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एसटीएल) कार्यरत हैं, जिनमें से दस एसटीएल (गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में एक-एक प्रयोगशाला और राजस्थान राज्य की पाँच प्रयोगशालाएँ) राष्ट्रीय परीक्षण एवं कैलिब्रेशन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त हैं और दो एसटीएल (तेलंगाना और तमिलनाडु में एक-एक प्रयोगशाला) अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) से मान्यता प्राप्त हैं। बीज परीक्षण का टर्न्ड अराउंड टाइम (टीओटी) फसल दर फसल अलग-अलग होता है और बीज परीक्षण नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है। परीक्षण के परिणाम घोषित करने के लिए बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में 60 दिनों का अधिकतम समय निर्धारित किया गया है।

(ड.) और (च): घटिया/नकली बीजों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में, किसान बीज आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए बीज निरीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। घटिया/नकली बीज पाए जाने पर बीज निरीक्षक, बीज विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने, स्टॉक जब्त करने, चेतावनी जारी करने, 'बिक्री रोकने' का आदेश जारी करने और अदालत में मामला दर्ज करने आदि जैसी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार राज्यों को सलाह भी जारी करती है ताकि देश में घटिया बीजों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा बीज संबंधी कानूनी ढांचे का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई उपाय करती है, जिनमें उपकरणों की खरीद, भवन निर्माण, नवीनीकरण, सदस्यता शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण एसोसिएशन (आईएसटीए) प्रमाणन, विशेष बीज हेल्थ प्रयोगशाला और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सुविधा, ग्रो-आउट-टेस्ट फार्म को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) बीज घटकों (पूर्ववर्ती बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन) के तहत ग्रीन हाउस सुविधाओं की स्थापना और क्षमता निर्माण आदि के लिए एसटीएल की तकनीकी लेखा परीक्षा के लिए राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों (सार्वजनिक क्षेत्र) को वित्तीय सहायता (100% भारत सरकार का हिस्सा) प्रदान करना शामिल है।

सरकार ने साथी पोर्टल (बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसबिलिटी और हॉलिस्टिक इन्वेंटरी) के माध्यम से बीज उत्पादन की डिजिटल ट्रेसेबिलिटी का भी कार्यान्वयन किया है। साथी के प्रथम चरण का कार्यान्वयन 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा चुका है, जिसमें संपूर्ण बीज उत्पादन श्रृंखला शामिल है। साथी का दूसरा चरण कुछ राज्यों में प्रारंभ किया जा रहा है।

अनुलग्नक ।

वर्ष 2020-21 के लिए बीज कानून प्रवर्तन

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	खराब पाए गए नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी करने वाले मामलों की संख्या	जारी किए गए बिक्री रोकने के आदेशों की संख्या	अदालत में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए मामलों की संख्या जुर्माना/कारावास की सजा	न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	जब्ती के मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	10095	127	85	10	32	0	9	0
2	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	12821	88	0	5	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	3763	180	0	180	0	0	0	0
5	गुजरात	6561	159	17	105	102	16	86	1
6	हरियाणा	2725	16	1	11	4	0	4	0
7	हिमाचल प्रदेश	686	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	1268	50	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	7869	298	145	4	7	0	7	0
11	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	13150	983	463	847	16	3	15	5
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
14	उड़ीसा	6195	0	0	0	0	0	0	0
15	पंजाब	3636	138	106	78	0	0	0	0
16	राजस्थान	4881	106	106	3	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	28092	454	293	1248	13	1500	0	0
18	तेलंगाना	9995	209	209	209	209	0	209	0
19	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उत्तर प्रदेश	15740	299	40	18	0	0	0	0
21	उत्तराखंड	482	6	6	0	0	0	0	0
22	पश्चिम बंगाल	38117	3218	87	310	0	0	0	0
23.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	पुदुचेरी	125	22	3	0	0	0	0	0
कुल		166201	6353	1561	3028	383	1519	330	6

अनुलग्नक ॥

वर्ष 2021-2022 के लिए बीज कानून प्रवर्तन

क्र. सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	खराब पाए गए नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी करने वाले मामलों की संख्या	जारी किए गए बिक्री रोकने के आदेशों की संख्या	अदालत में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए मामलों की संख्या जुर्माना/कारावास की सजा	न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	जब्ती के मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	10018	133	60	36	15	0	9	0
2	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	13184	36	2	2	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	3313	123	123	123	0	0	0	0
5	गुजरात	6814	126	12	137	102	42	0	0
6	हरियाणा	3213	12	4	8	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	332	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	772	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	10114	178	50	20	22	0	20	5
11	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	13570	871	484	788	0	0	4	10
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
14	उड़ीसा	1143	199	0	0	0	2	0	0
15	पंजाब	20754	189	141	145	4	2	0	0
16	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	52623	1744	1662	3025	168	3157	38	0
18	तेलंगाना	10339	302	302	252	302	0	299	3
19	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उत्तर प्रदेश	18387	372	133	87	0	0	0	0
21	उत्तराखंड	519	8	6	2	0	0	0	0
22	पश्चिम बंगाल	33905	3098	95	80	0	0	0	0
23	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पुदुचेरी	111	51	4	0	0	0	0	0
कुल		199111	7442	3078	4705	613	3203	370	18

अनुलग्नक III

वर्ष 2023-2024 के लिए बीज कानून प्रवर्तन

वर्ष 2022-2023 के लिए बीज कानून प्रवर्तन

क्र. सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	खराब पाए गए नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी करने वाले मामलों की संख्या	जारी किए गए बिक्री रोकने के आदेशों की संख्या	अदालत में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए मामलों की संख्या जुर्माना/कारावास की सजा	न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	जब्ती के मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	10658	133	18	64	54	1	15	1
2	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	14436	147	14	32	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	4433	168	168	0	0	0	0	0
5	गुजरात	7497	194	30	192	162	56	0	0
6	हरियाणा	3027	8	4	4	2	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	569	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	772	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	9843	234	12	180	186	0	186	10
11	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	13176	1347	620	1082	0	0	0	1
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ओडिशा	1166	575	0	0	0	0	0	0
15	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
16	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	55407	1714	1316	2094	152	155	96	0
18	तेलंगाना	11954	398	252	88	325	0	325	0
19	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उत्तर प्रदेश	17475	320	66	80	0	0	0	0
21	उत्तराखंड	713	19	19	0	0	0	0	0
22	पश्चिम बंगाल	31396	2714	105	70	0	0	0	0
23	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पुदुचेरी	119	36	9	0	0	0	0	0
कुल		182641	8007	2633	3886	881	212	622	12

क्र. सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	खराब पाए गए नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी करने वाले मामलों की संख्या	जारी किए गए बिक्री रोकने के आदेशों की संख्या	अदालत में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए मामलों की संख्या जुर्माना/कारावास की सजा	न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	जब्ती के मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12246	165	15	232	151	0	151	34
2	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	12582	154	0	40	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	6121	196	196	196	0	0	0	0
5	गुजरात	23883	537	194	204	288	150	0	0
6	हरयाणा	2784	39	24	5	1	0	1	0
7	हिमाचल प्रदेश	618	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	772	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	6894	76	10	66	0	0	66	0
11	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	17519	1539	855	1422	0	0	0	1
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ओडिशा	1553	75	0	0	0	0	0	0
15	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
16	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	19218	394	285	618	34	10	13	0
18	तेलंगाना	11920	348	348	25	301	16	285	0
19	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उत्तर प्रदेश	17013	357	45	4	0	0	0	0
21	उत्तराखंड	493	5	0	0	0	0	0	0
22	पश्चिम बंगाल	24888	1235	102	63	0	0	0	0
23	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पुदुचेरी	60	15	7	0	0	0	0	0
कुल		158564	5135	2081	2875	775	176	516	35

अनुलग्नक IV

अनुलग्नक V

वर्ष 2024-2025 के लिए बीज कानून प्रवर्तन

क्र. सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी करने वाले मामलों की संख्या	जारी किए गए बिक्री रोकने के आदेशों की संख्या	अदालत में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए मामलों की संख्या जुर्माना/कारावास की सजा	न्यायालय में विचाराधीन मामलों की संख्या	जब्ती के मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13888	186	186	232	31	1	31	13
2	असम	97	0	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	14290	365	2	34	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	7218	326	0	326	0	0	0	0
5	दिल्ली	49	0	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	17346	507	79	0	403	137	266	0
7	हरियाणा	3336	63	19	0	38	0	18	0
8	हिमाचल प्रदेश	720	0	0	0	0	0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	578	9	45	8	8	3	5	0
10	झारखंड	1588	1	2	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	10249	102	73	69	75	16	3	0
12	केरल	3653	145	0	0	0	0	0	0
13	महाराष्ट्र	30333	1031	589	1189	442	85	442	52
14	मध्य प्रदेश	19716	1438	822	1406	6	0	0	0
15	ओडिशा	4449	1363	773	48	0	0	0	25
16	पुदुचेरी	106	25	17	8	0	0	0	0
17	पंजाब	5612	148	144	64	1	3	11	0
18	राजस्थान	6382	190	0	5	0	0	0	0
19	तमिलनाडु	52143	1565	1046	2112	115	55	60	0
20	तेलंगाना	11946	247	173	109	212	0	69	0
21	त्रिपुरा	961	48	48	0	0	0	0	0
22	उत्तर प्रदेश	17408	306	64	39	0	0	0	0
23	उत्तराखंड	541	0	0	0	0	0	0	0
24	पश्चिम बंगाल	30267	24460	2178	5	0	0	0	0
कुल		252876	32525	6260	5654	1331	300	905	90

******